औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा औद्योगिक रुग्णता की समीक्षा

1447. **चौधरी हरमोहन सिंह यादव:**
श्री ईश दत्त यादव:

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विगत पांच वर्षों के दौरान औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड को औद्योगिक रुग्णता से संबंधित सौंपे गये मामलों में से निपटाये गये और लंबित मामलों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या बोर्ड ने औद्योगिक रुग्णता की समीक्षा की है; यदि हां, तो तत्संबंधी उद्योग-वार और राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने वास्तविक पुनर्निवेश के आधार पर औद्योगिक रुग्णता की समस्या से प्रभावशाली ढंग से निपटने के लिए नई रणनीति बनाई है और नये सिरे से नीति की पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वित्त मंत्रालय (बैंकिंग, राजस्व तथा बीमा) में राज्य मंत्री (श्री कादम्बूर एम० आर० जनार्दनन): (क) और (ख) औद्योगिक और वित्तीय पुनर्निमाण बोर्ड (बाइफर) ने सूचित किया है कि विगत पांच वर्षों (1.1.94 से 31.12.98) के दौरान 1008 रुग्ण औद्योगिक कंपनियों को रुग्ण औद्योगिक कम्पनी (विशेष उपबंध) अधिनियम, 1985 (सीका)के उपबंधों के तहत पंजीकृत किया गया। इनमें से 393 मामलों का निवटान किया गया और शेष 615 मामले बाइफर में विभिन्न स्तरों पर लम्बित हैं। राज्यवार और उद्योगवार विवरण क्रमशः विवरण-I और विवरण-II में दिए गए हैं **(नीचे देखिए)**

(ग) और (घ) औद्योगिक रुग्णता को बेहतर ढंग से निबटाने के लिए सरकार "सीका" की पुनरीक्षा कर रही है।

विवरण-I

विगत 5 वर्षों के दौरान पंजीकृत मामलों का राज्वार ब्यौरा

क्र०सं०	राज्य	कुल मामले
1.	आन्ध्र प्रदेश	101
2.	बिहार	16
3.	चंडीगढ़	4
4.	दादरा एवं नगर हवेली	4
5.	गोवा	5
6.	गुजरात	92
7.	हरियाणा	46
8.	हिमाचल प्रदेश	14
9.	जम्मू व कश्मीर	4
10.	केरल	14
11.	कर्नाटक	46
12.	मध्य प्रदेश	75
13.	महाराष्ट्र	169
14.	मणिपुर	2
15.	मेघालय	4
16.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली	32
17.	नागालैंड	2
18.	उड़ीसा	16
19.	पांडिचेरी	3
20.	पंजाब	55
21.	राजस्थान	44
22.	तमिलनाडु	94
23.	त्रिपुरा	1
24.	उत्तर प्रदेश	99
25.	प० बंगाल	59
26.	असम	4
	कुल	1008

विवरण-II

विगत पांच वर्षों के दौरान पंजीकृत मामलों का राज्य-वार विवरण

क्र०सं०	उद्योग	कुल मामले
1.	धातुकर्मीय	132
2.	ईन्धन	2
3.	बायलर और स्टीम जेनरेटिंग प्लांट	1
4.	विद्युत उपकरण	52
5.	दूर संचार	14
6.	परिवहन	5
7.	औद्योगिक मशीनरी	4
8.	मशीन टूल्स	21
9.	कृषि मशीनरी	1
10.	विविध मशीनरी एवं इंजीनियरी	9

क्र०सं०	उद्योग	कुल मामले
11.	वाणिज्यिक कार्यालय एवं घरेलू उपकरण	1
12.	मेडिकल और सर्जिकल उपकरण	6
13.	औद्योगिक औजार	2
14.	उर्वरक	10
15.	रसायन	63
16.	फोटोग्राफिक रा-फिल्म और पेपर	6
17.	रंजक	8
18.	ड्रग और फार्मास्युटिकल्स	37
19.	वस्त्र	139
20.	कागज और लुग्दी	42
21.	चीनी	14
22.	फर्मन्टेशन	2
23.	खाद्य प्रसंस्करण	59
24.	बनस्पति तेल और बनस्पति	50
25.	रबड़ उत्पाद	15
26.	चमड़ा, चमड़ा उत्पाद और पिक्र्स	10
27.	शीशा	6
28.	मृत्तिका-शिल्प	12
29.	सीमेन्ट और जिप्सम उत्पाद	36
30.	टिम्बर उत्पाद	4
31.	विविध	189
32.	अनुपलब्ध	3
33.	जूट	6
34.	चमड़ा एवं जूते, मशीन टूल	1
35.	सीमेन्ट	10
36.	इंजीनियरी	4
37.	इलेक्ट्रानिक्स	32
	जोड़	1008

Seizure of Heroin at Wagah Border

1448. SHRI O. P. KOHLI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether 21 kg of heroin was seized at the Wagah border, as reported in the Hindustan Times dated 17th January, 1999;

(b) whether Afghanistani smugglers are having their links in India, through whom enormous quantities of heroin is exported clandestinely to some European countries; and

(c) if so, whether such elements in India have been indentified, particularly in the present case?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHANAN): (a) Sir, 21.450 kgs. of heroin was seized by Customs Officers at Land Customs Station, Attari Road, Punjab on 15.01.1999.

(b) Intelligence reports as well as a few cases of seizures of heroin indicate links of Afghan smugglers in India.

(c) Yes, Sir. Indian contects of Afghan smugglers have been identified in a few cases booked in the past. In the present case also, the Indian links have been identified.

Lowering of Import Duty on Methanol

1449. SHRI DRUPAD BORGOHAIN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether the Ministry of Finance propose to lower the import duty on methanol;

(b) if so, whether it harms the methanol producing petrol-chemical industries of India; and

(c) whether it would help the foreign companies for dumping?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE) (SHRI KADAMBUR M. R. JANARTHANAN): (a) The basic customs duty on Methanol has remained unchanged at 25% in this years budget. 5% special customs duty, which was chargeable prior to the budget has been abolished. However, surcharge at the rate of 10% of basic duty has been imposed. The